सं. 19030/3/2008-संस्था-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था-IV शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- शहर के भीतर ही यात्रा करने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु ग्राह्यता।

अधोहस्ताक्षरी को यात्रा भत्ता नियमावली - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अनुबंध के पैरा 3 का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. स्पष्ट किया जाता है कि आवास से रेलवे स्टेशन/एअरपोर्ट, आदि और रेलवे स्टेशन/एअरपोर्ट आदि से वापिस मुख्यालय स्टेशन तक के साथ-साथ रेलवे स्टेशन/एअरपोर्ट आदि से ठहरने के स्थान तक तथा वहां से उस स्टेशन तक, जहां का दौरा किया गया है, के टैक्सी/ऑटो प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधी एस.आर.-46 के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश 7 के मौजूदा प्रावधान शहर के भीतर टैक्सी/यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त लागू रहेंगे (इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अनुबंध के पैरा-3 का संदर्भ लें)।

3. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, उनके लिए ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(करण सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

प्रतिः-

(i) सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र।

(ii) सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल।

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग (ए.आई.एस. प्रभाग), लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय/आयुक्त, दिल्ली नगर निगम।

(v) जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।